रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D. (D.L.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 594] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 1987/अग्रहाण 3, 1909
No. 594] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 1987/AGRAHAYANA 3, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1987

अधिसूचना

का. आ. 1014(अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, निदेश देते है कि उनके नियंत्रण के अध्यधीन और आगे आदेश होने तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 34 के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का, इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्रों

के संबंध में प्रयोग, अपने अपने संघ राज्य क्षेत्र के यथास्थिति उपराज्यपाल या प्रशासन द्वारा भी किया जाएगा ।

अनुसूची

(1) अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र;
(2) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र;
(3) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र;
(4) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र;
(5) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र;
(6) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र;
(7) पाण्डिचेरी संघ राज्यक्षेत्र ।

[सं. 6(10)/87-बी आई एस]

पी०एन० कौल, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 24th November, 1987

NOTIFICATION

S.O. 1014(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers of the State Government under section 34 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) shall, in relation to the Union territories specified in the Schedule appended to this order, be exercised also by the Lieutenant Governor or Administrator, as the case may be, of the respective Union territory.

SCHEDULE

(1) Union territory of Andaman and Nicobar Island;
(2) Union territory of Chandigarh;
(3) Union territory of Dadra and Nagar Haveli;
(4) Union territory of Daman and Diu;
(5) Union territory of Delhi;
(6) Union territory of Lakshadweep;
(7) Union territory of Pondicherry.

[No. 6(10)|87-BIS]

P. N. KAUL, Economic Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987